न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 205/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नन्दकिशोर पुत्र लिखमाराम माली निवासी– ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. विरेन्द्रसिंह पुत्र लिखमाराम माली निवासी– निवासी– ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.10.2019 जो तहसीलदार, लूणी के द्वारा प्रकरण संख्या 09/2019 अनवान विरेन्द्रसिंह बनाम नन्दकिशोर वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1– श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

2– श्री लादूराम पूनिया, अशोक पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से

3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 8 मई, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर लूणी के समक्ष वास्ते घोषणा, बंटवाडा, व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है उक्त वाद में अन्तरिम तौर पर प्रभावी स्थगन आदेश को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के समक्ष पेश हुई जिस पर स्थगन आदेश जारी हुआ। उक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 ने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश की जिस में राजस्व अपील प्राधिकारी की बजाय अति0 संभागीय आयुक्त ने अपील पर सुनवाई करने के उपरान्त स्थगन आदेश जारी किया दो विधी अनुसार नहीं है, जिस पर रिट याचिका में अन्तिम तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर राजस्व अपील प्राधिकारी के पारित आदेश को स्थगित कर दिया गया।

अपीलान्ट को उक्त रिट याचिका में जारी हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश के विरूद्ध खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत की जिस पर अपीलान्ट को निर्देशित किया गया कि वह एकल पीठ के समक्ष स्थगन खारिज करने की कार्यवाही करे। तब अपीलान्ट ने एकल पीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस राजस्व वाद के विचारण के दौरान एक दान विलेख रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पिता श्री लिखमाराम के द्वारा निष्पादित किया गया तथा उस आधार पर रेस्पोडेन्ट तहसीलदार लूणी के समक्ष नामा0 दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। तब तहसीलदार लूणी ने धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पटवारी सालावास से रिपोर्ट तलब की एवं दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी कर करने का आदेश दिया परन्तु उक्त कार्यवाही की अपीलान्ट को कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया। दिनांक 11.10.2019 [illegible]

पक्ष में नामा0 दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मनमाना व विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित पारित किया गया है क्योंकि अपीलान्ट को इस बाबत कोई नोटिस तामील नहीं करवाया और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई अवसर दिया गया और एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त करने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया था, मात्र तकनीकी आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की है, समानान्तरण याचिका में यह आदेश पारित किया जा चुका था कि लिंक अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं की है। इस आधार पर तहसीलदार लूणी द्वारा निष्पादित की गई अपीलाधीन कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से उसमें पारित आदेश निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि राजस्व वाद के विचारण के दौरान नामान्तरकरणएक फिसकल कार्यवाही के जरिये राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिये थे तथा राजस्व वाद में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय का इन्तजार किया जाना चाहिये था, परन्तु तहसीलदार लूणी द्वारा सिद्धान्तों की अनुपालना के विपरित जाकर आदेश पारित किया गया है जो विधि विपरित होने से निरस्त किया जावे साथ ही तहसीलदार लूणी द्वारा अन्तर्गत धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम की गई कार्यवाही को पक्षकारों के मध्य लम्बित मूल वाद के निर्णय तक खारिज की जावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये गये यथा आरआरडी 1990 पेज 479, आरआरडी 1993 पेज 774, आरआरडी 1990 पेज 649, आरआरडी 1993 पेज 776, एससी बलवन्तसिंह बनाम दौलत सिंह दिनांक 7.7. 1997, एससी सूरजमान बनाम वित्तीय आयुक्त दिनांक 16.4.2007, एससी जितेन्द्रसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य दिनांक 6.9.2021, आरबीजे 1999 पेज 127, आरबीजे 1999 पेज 481, आरबीजे 2009 पेज 428, आरबीजे 2011 पेज 559, आरबीजे 2013 पेज 77 इत्यादि।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 28.7.2016 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु पेश कर यह निवेदन किया गया कि ग्रामं सालावास के खेत खसरा संख्या 198 रकबा 31 बीघा 06 बिस्वा भूमि के 3/4 हिस्सा भूमि श्री लिखमाराम पुत्र हुकमाराम के नाम उनकी खरीदशुदा भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज रही। जिसमें से श्री लिखमाराम के द्वारा अपने हिस्से में से रकबा 12 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 28.7.2016 के मेरे पक्ष में बख्शीश कर दी गई है जिसकी फोटो प्रति संलग्न पेश की गई। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा तत्समय में बताया गया कि सहायक कलेक्टर लूणी न्यायालय से उक्त खसरा भूमि पर स्थगन है जो अपास्त होने पर ही नामान्तरकरण की

संभागीय आयुक्त

कार्यवाही की जा सकेगी।

रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया था कि सहायक कलेक्टर लूणी के द्वारा जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त कर दिये जाने पर अपीलान्ट के द्वारा अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा रिट याचिका मान0 उच्च न्यायालय में पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुई अपील को दिनांक 13.9.19 को जरिये विड्राल खारिज कर दी गई। ऐसे में वर्तमान समय में मामले में किसी भी न्यायालय से नामान्तरकरण रोक का कोई आदेश प्रभाव में नहीं होने से उक्त पंजीकृत बख्शीशनामें के अनुसार मेरे पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

तत्पश्चात तहसीलदार लूणी के द्वारा पटवारी हल्का सालावास से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लूणी के द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त, प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामें के आधार पर ख0सं0 198 में रेस्पोडेन्ट का नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जो अपील पेश को गई है, वह अन्य तथ्यों को लेकर पेश की गई है, उसमें गुणावगुण पर निर्णय किये जाने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा उनको प्रकरण की पूर्ण जानकारी रही है। उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं होने से अपीलान्ट को अपीलाधीन कार्यवाही को चुनौती दिये जाने की कोई अधिकारिता नहीं रहती है। लिखमाराम के द्वारा अपनी खरीदशुदा भूमि में से ही रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में भूमि का बख्शीशनामा निष्पादित किया गया है। इस प्रकार जब तक पंजीकृत दस्तावेज सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तब उसके अनुसार दर्ज किये गये नामा0 को निरस्त नहीं करवाया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे तथा तहसीलदार लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को बहाल रखा जावें। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा फार्म नं. 3 के साथ राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20 अप्रेल, 2023 की प्रति अवलोकनार्थ पेश की।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, प्रस्तुत निर्णय नजीरों, अपीलांधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 का इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लूणी की नियम 135 (2) की कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी (वर्तमान अपीलान्ट) श्री नन्दकिशोर द्वारा दिनांक 23.9.2019 को नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा जाना प्रतिवेदित है, यानि की अधीनस्थ न्यायालय में तत्समय चल रही कार्यवाही से अपीलान्ट वाकिफ था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 28.8.2019 अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा लिंक अधिकारी के रूप में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 12.7.2019 को स्टे किया है, उक्त स्थिति में तहसीलदार लूणी के द्वारा दिनांक 11.10.2019 को नियम 135 (2) के तहत कार्यवाही किये जाने में कोई विधिक बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लूणी के द्वारा नियम 135 (2) के संदर्भ में दिनांक 11.10.2019 को पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 4 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर